

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

भू-अर्जन शाखा

वापसी अधिसूचना

पत्रांक

/आर०, पटना, दिनांक

भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-48(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार ने निम्नलिखित भूमि मौजा- फुलबाड़ी, थाना नं.-31 परगना-सुरजापुर, अंचल-किशनगंज, जिला-किशनगंज, में पुलिस लाईन के लिए भू-अर्जन हेतु अधिधोषित 03.86 एकड़ भूमि को भू-अर्जन से मुक्त करने का निर्णय लिया है। एतद् द्वारा इस संबंध में जारी अधिधोषणा सं-1289(रा०)/दिनांक 13.07.11 जो जिला गजट के असाधारण अंक-95, दिनांक-18.08.2011 के पृ०सं० 02 पर प्रकाशित है, को वापस लिया जाता है।

मौजा :- फुलबाड़ी, थाना नं०-31			मौजा :- फुलबाड़ी, थाना नं०-31		
खाता	खेसरा	रकबा (एकड़ में)	खाता	खेसरा	रकबा (एकड़ में)
59	632p	0.15	59	641	0.19
07	634p	0.10	59	642	0.22
24	635	0.09	59	646	0.34
59	636	0.26	07	647	0.46
07	637p	0.68	27	651p	0.50
07	638	0.28	58	656p	0.14
07	639	0.23	कुल रकबा :- 03.86		
24	640	0.22			

चौहद्दी :-

पूर्व :- लाईन मौजा

पश्चिम :- सुलतानपुर, मौजा

उत्तर :- खेसरा नं०-32/2,33,34,634p,632p,637p,644,645,
631,648,650,653,651p,656p

दक्षिण :- सुलतानपुर, मौजा

बिहार राज्यपाल के आदेश से

[Signature]
समाहर्ता,
किशनगंज।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 3066/रा० भू-अर्जन, पटना

दिनांक 27/12/12

प्रतिलिपि :

निदेशक, जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :

उप समाहर्ता, प्रभारी जिला गजट, किशनगंज समाहरणालय के जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस-दस (10-10) प्रतियाँ इस विभाग को एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :

समाहर्ता, किशनगंज/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
सरकार के अवर सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।